फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामखिलाडी बनाम प्रेमचंद वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0 16 / 2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमिश्नर एवं अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि पर बजमाने बुजुर्गान से निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसलिए पत्रावली में मौका स्थिति रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र महज मूल प्रार्थना पत्र में डिले करने की नियत से पेश किया गया है मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 बहस में नियत है इसलिए प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर खारिज किया जावे। साथ ही निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता के अभिवचनों का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश मौका कमिश्नर विवादित भूमि की कब्जा स्थिति मंगवाने हेतु पेश किया गया है लेकिन न्यायालय की राय में पत्रावली पर किसी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित किया जाना न्यायालय का दायित्व न होकर स्वंय पक्षकार का है तथा विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण को ही पाबंद किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर एवं अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 मौका कमिश्नर एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	